2563
26/08/2022

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– **मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण–सह–अनुदान उपलब्ध कराने, ऋण की वसूली, गारंटर हेतु मापदंड का निर्धारण एवं EMI की गणना की स्वीकृति के संबंध में।**

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम एवं सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देने हेतु व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि स्वरोजगार हेतु युवाओं को बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त आलोक में विभाग द्वारा संचालित निगमों को स्वरोजगार हेतु ऋण–सह–अनुदान का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आरम्भ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण–सह–अनुदान की सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागान्तर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम एवं सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण–सह–अनुदान की योजना अब **"मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना"** के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जाना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आर्थिक गतिविधयों (Income Generation) को बल देने हेतु स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए ही ऋण दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस योजना अंतर्गत Consumption Loan देय नहीं होगा।

26/08/2022

3. **नोडल एजेन्सीः–** मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण के साथ–साथ ऋण में अनुदान (ऋण–सह–अनुदान) योजना का क्रियान्वयन विभाग अन्तर्गत संचालित निम्नलिखित निगमों द्वारा किया जाता है :–

I. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
II. झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
III. झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
IV. झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

4. उपरोक्त निगमों द्वारा वर्तमान में केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा National Scheduled Tribes Finance Development Corporation (NSTFDC), National Scheduled Cast Finance Development Corporation (NSFDC), National Backward Class Finance Development Corporation (NBCFDC), National Safai Karamchari Finance Development Corporation (NSKFDC), National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC) तथा National Minority Finance Development Corporation (NMFDC) द्वारा प्राप्त ऋण की राशि से लाभुकों को आच्छादित किया जाता रहा है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 तक National Minority Finance Development Corporation (NMFDC) को छोड़कर शेष निगमों द्वारा ऋण की राशि में अधिकतम 10000/– रू० का अनुदान का वहन राज्य मद से प्राप्त राशि से किये जाने का प्रावधान था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के उपरांत संकल्प संख्या 469 दिनांक 22.02.2021 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पंसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांगजन को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत ऋण की राशि के साथ–साथ ऋण में अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु० 5.00 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को देने का प्रावधान था। ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5,00,000/– रू० दोनों में से जो कम हो, का लाभ लाभुकों को तभी देय होता है, जब लाभुकों द्वारा नियमित रूप से EMI का भुगतान संबंधित निगमों को किया जाय। तीन लगातार माह का EMI लाभुक द्वारा भुगतान नहीं करने की स्थिति में उक्त लाभुक को Default List में रखते हुए ऋण अनुदान की राशि के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान था।

योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निमित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 में निम्नवत् संशोधित किया गया है :–

5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पंसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांगजन को

26/08/2021

स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत ऋण की राशि के साथ–साथ ऋण में अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु० 5.00 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को देने का निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है :–

(i) रूपये 50,000/– तक की अधिसीमा तक ऋण प्राप्त करने हेतु गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपर के ऋण के लिए एक गारंटर की आवश्यकता होगी जो सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत कर्मी अथवा निर्वाचित/पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि/आयकरदाता में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है।

किसी भी गारन्टर के पहचान के क्रम में यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ऋण की ससमय वापसी सुनिश्चित हो।

(ii) **गारन्टी के रूप में चल/अचल सम्पति का प्रावधान:-** 50,000/– से अधिक ऋण लेने की स्थिति में विभाग अन्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा ऋण राशि के समतुल्य चल/अचल संपति भी गारन्टी के रूप में लाभुकों से प्राप्त किया जा सकता है एवं वैसी परिस्थिति में क्रमांक (i) में वर्णित गारंटर की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(iii) **दृष्टिबंधक (Hypothecation):-** मैन्युफैक्चरिंग सम्बंधित ऋण प्रस्ताव में प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से सम्बंधित ऋण के लिए आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन को सम्बंधित निगम के नाम में विहित प्रपत्र में दृष्टिबंधक (Hypothecation) करना अनिवार्य होगा। प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के मामले में दृष्टिबंधक (Hypothecation) ही ऋण की गारंटी के रूप में मान्य होगी एवं ऐसे मामले में क्रमांक–(i) में वर्णित गारन्टर अथवा क्रमांक–(ii) में वर्णित गारन्टी की अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) **ऋण अनुदान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया:-** नियमित रूप से EMI का भुगतान संबंधित निगमों को किया जाएगा। EMI की गणना ऋण की राशि घटाव अनुदान की राशि के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि ऋण की राशि पाँच लाख रूपये है एवं अनुदान की राशि दो लाख रूपये है तो EMI की गणना 3.00 (5.00-2.00) लाख के आधार पर किया जाएगा।

(v) विभाग अंतर्गत संचालित निगमों द्वारा ऋण की योजना में ली जा रही सूद का दर 6 प्रतिशत रहेगा। सूद की गणना ऋण की राशि से अनुदान की राशि घटाने पर जो शेष राशि होगी उसके आधार पर की जाएगी एवं तदनुसार EMI की राशि निर्धारित की जाएगी।

6. केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा National Scheduled Tribes Finance Development Corporation (NSTFDC), National Scheduled Cast Finance Development Corporation (NSFDC), National Backward Class Finance Development Corporation (NBCFDC), National Safai Karamchari Finance Development Corporation (NSKFDC), National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC) तथा National Minority Finance

Development Corporation (NMFDC) द्वारा प्राप्त ऋण की राशि से लाभुकों को आच्छादित किये जाने पर भी ऋण अनुदान का लाभ राज्य योजना मद से, ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम रु० 5.00 लाख दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को भुगतेय होगा।

7. ऋण आवेदन, ऋण गारंटी, दृष्टिबंधक (Hypothecation) तथा ऋण सम्बन्धी प्रपत्र संबंधित निगमों द्वारा, व्यवसायिक बैंकों द्वारा प्रचलित प्रपत्र के आधार पर तैयार कर वित्त पोषण का कार्य किया जाएगा।
8. योजना अंतर्गत लाभुकों से प्राप्त होने वाली राशि को योजना के अंतर्गत लाभुकों के वित्त पोषण के निमित व्यय किया जायेगा।
9. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के द्वारा लाभुकों को वितरित ऋण की राशि की वसूली हेतु आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार कर ऋण वसूली की जाएगी।
10. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को वितरित ऋण और उससे आय में होने वाली वृद्धि के आकलन एवं अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष 3rd party evaluation सभी निगमों द्वारा कराया जाएगा एवं इसके फलाफल से विभाग को अवगत कराया जाएगा।
11. विभाग अंतर्गत कार्यरत निगमों को ऋण–सह–अनुदान वितरण हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन में से अधिकतम 5 प्रतिशत राशि आकस्मिक व्यय, लाभुकों के प्रशिक्षण, Documentation, 3rd party evaluation एवं प्रचार–प्रसार आदि पर व्यय किया जा सकेगा।
12. योजना अंतर्गत योग्य लाभुक के चयन हेतु प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति निम्न रुप से गठित होगाः–

i.	अध्यक्ष	:	उपायुक्त
ii.	उपाध्यक्ष	:	उप विकास आयुक्त
iii.	सदस्य सचिव	:	निगम के जिला कार्यपालक पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी
iv.	सदस्य	:	परियोजना निदेशक, ITDA
v.	सदस्य	:	लीड बैंक मैनेजर
vi.	सदस्य	:	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र
vii.	सदस्य	:	जिला परिवहन पदाधिकारी

आवेदक द्वारा ऋण का आवेदन झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। संबंधित जिला कार्यपालक पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को छोड़कर) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरांत चेकलिस्ट सहित निगम मुख्यालय में स्वीकृति हेतु

26/07/2022

प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। तद्नुसार निगम मुख्यालय स्तर पर आवेदनों की स्वीकृति देते हुए ऋण की राशि लाभुकों को भुगतान की जाएगी।

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा ऋण हेतु आवेदन झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय के साथ साथ जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे एवं तदोपरान्त सम्बंधित जिला कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की जाँच पूरी कर योग्य एवं पात्र लाभुकों का आवेदन जिला स्तरीय समिति से अनुसंशित कराकर जाँच के चेकलिस्ट सहित झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। आवेदनों की जाँच करते हुए योग्य एवं पात्र लाभुकों को ऋण की राशि झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

13. विभाग अन्तर्गत कार्यरत निगमों द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगीः–

I. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो।

II. आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित Online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

III. झारखण्ड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (Online निर्गत)।

IV. झारखण्ड राज्य से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Online निर्गत) – ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5,00,000/– से अधिक न हो।

V. आवेदक सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VI. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान से ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो। इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

VII. आवेदक को आधार कार्ड की छायाप्रति/आयु संबंधी प्रमाण–पत्र/ बैंक खाता नम्बर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) उपलब्ध कराना होगा।

VIII. रू० 50,001/– से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा। योजना प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय (वाहन ऋण छोड़कर) में प्रति 1.50 लाख रूपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है। किसी भी प्रकार के नशा यथा शराब, हड़िया, ताड़ी आदि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय यथा 20 माइक्रोन से कम पोलिथीन बैग/कैरी बैग/पैकेजिंग मटेरियल आदि से सम्बंधित व्यवसाय के प्रस्ताव इस योजना अंतर्गत आच्छादित नहीं किये जायेंगे।

IX. 50,001/– रू० से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 10% राशि आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।

X. योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

26/08/2022

XI. आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन का निबंधन (Registration) करवाना अनिवार्य होगा। Registration के मामले में परिवहन विभाग के नियमों/अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायगा।

XII. स्वयं सहायता समुहों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित National Rural Livelihood Mission (NRLM) अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं RBI द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूहों को आय सम्वर्धन हेतु ऋण की राशि मुहैया करायी जाएगी।

XIII. यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

14. योजना हेतु वित्तीय प्रावधान एवं राशि का हस्तांतरण – वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा दिव्यांगजन को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु कुल 100.00 करोड़ रू० प्रावधानित है। बजटीय उपबंध की राशि की निकासी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा करते हुए प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराई जायगी। बजटीय उपबंध की राशि से उक्त योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के आलोक में ऋण के साथ–साथ ऋण अनुदान की राशि भी भुगतेय होगी। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार की वित्तीय संस्थान यथा NSTFDC, NSCFDC, NBCFDC, NSKFDC, NHFDC तथा NMFDC द्वारा प्राप्त ऋण की राशि में भी राज्य मद के बजटीय उपबंध की राशि से निर्धारित शर्तों के आलोक में ऋण अनुदान की राशि भी भुगतेय होगी।

15. राशि का विकलन मांग संख्या 51–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग, मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–20–शिक्षा–अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222501789200679 एवं

26/08/2022

उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–50–शिक्षा–टी०सी०डी०सी० को सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222502796500679 एवं

उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़ी वर्गों का कल्याण–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–85–पिछड़ा वर्ग विकास निगम सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अंशदान, इकाई–79–सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड–51S222503796850679 तथा

मांग संख्या 30–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), मुख्य शीर्ष–4225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–07–अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा योजनाओं के कार्यान्वय हेतु सहायक अनुदान विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, इकाई–59–अन्य व्यय विपत्र कोड–30S422580796070759 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

16. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–469, दिनांक 22.02.2021 को यथासंशोधित किया जाता है।

17. योजना पर दिनांक 24.08.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–38 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 - 2563 राँची, दिनांकः– 26/08/2022

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित कि झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। साथ ही 300 अतिरिक्त प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 - 2563 राँची, दिनांकः– 26/08/2022

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/SCDC-08/2019 - 2563 राँची, दिनांक 26/08/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज/दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 - 2563 राँची, दिनांकः– 26/08/2022

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–01/SCDC-08/2019 - 2563 राँची, दिनांकः– 26/08/2022

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/08/2022
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।